उ0प्र0 पुलिस रेडियो सहायक परिचालक भर्ती–2022 के अन्तर्गत चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों की चिकित्सीय परीक्षण सूची निम्नांकित तिथि के अनुसार निर्धरित की गयी है। चयनित अभ्यर्थी अपने नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सा परीक्षा की तिथि के अनुसार पुलिस रेडियो मुख्यालय स्थित पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र में अपने निर्दिष्ट/निर्धारित प्रपत्रों के साथ समय से उपस्थित होंगे।

| S.No | Applied Post | Registration No | Name | ZONE | Date of Medical Examination |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assistant Operator | REGA0102262 | Ms..PRATIBHA PAL | PRJ | 14-05-2025 |
| 2 | Assistant Operator | REGA0105333 | Ms..SWATI MAURYA | PRJ | 14-05-2025 |
| 3 | Assistant Operator | REGA0134242 | Ms..Kanak Lata Singh | PRJ | 14-05-2025 |
| 4 | Assistant Operator | REGA0136725 | Ms..SUBHI SINGH | PRJ | 14-05-2025 |
| 5 | Assistant Operator | REGA0150414 | Ms..Ankita Tiwari | PRJ | 14-05-2025 |
| 6 | Assistant Operator | REGA0222363 | Ms..SEJAL SINGH | PRJ | 14-05-2025 |
| 7 | Assistant Operator | REGA0235014 | Ms..KM AARTI PANDEY | PRJ | 14-05-2025 |
| 8 | Assistant Operator | REGA0241308 | Ms..Shivani Jaiswal | PRJ | 14-05-2025 |
| 9 | Assistant Operator | REGA0251005 | Ms..KARUNA RATNAKAR | PRJ | 14-05-2025 |
| 10 | Assistant Operator | REGA0254197 | Ms..ADITI SHYAM | PRJ | 14-05-2025 |
| 11 | Assistant Operator | REGA0273024 | Ms..Ragnee | PRJ | 14-05-2025 |
| 12 | Assistant Operator | REGA0276261 | Ms..RICHA PATEL | PRJ | 14-05-2025 |
| 13 | Assistant Operator | REGA0313229 | Ms..AANCHAL GUPTA | PRJ | 14-05-2025 |
| 14 | Assistant Operator | REGA0322109 | Ms..PRACHI TRIPATHI | PRJ | 14-05-2025 |
| 15 | Assistant Operator | REGA0330136 | Ms..NISHA DEVI | PRJ | 14-05-2025 |
| 16 | Assistant Operator | REGA0337246 | Ms..kritika kabir | PRJ | 14-05-2025 |
| 17 | Assistant Operator | REGA0373401 | Ms..Unnati Agrawal | PRJ | 14-05-2025 |
| 18 | Assistant Operator | REGA0386774 | Ms..DEEP SHIKHA | PRJ | 14-05-2025 |
| 19 | Assistant Operator | REGA0431644 | Ms..SHRADDHA PATEL | PRJ | 14-05-2025 |
| 20 | Assistant Operator | REGA0433891 | Ms..Renu Singh | PRJ | 14-05-2025 |
| 21 | Assistant Operator | REGA0456908 | Ms..ASTHA GUPTA | PRJ | 14-05-2025 |
| 22 | Assistant Operator | REGA0487677 | Ms..SHILPA GUPTA | PRJ | 14-05-2025 |
| 23 | Assistant Operator | REGA0520879 | Ms..VANDANA YADAV | PRJ | 14-05-2025 |
| 24 | Assistant Operator | REGA0524284 | Ms..REKHA SAHU | PRJ | 14-05-2025 |
| 25 | Assistant Operator | REGA0345605 | Mr..VIJAY KUMAR MISHRA | PRJ | 14-05-2025 |

पुलिस रेडियो सहायक परिचालक सीधी भर्ती–2022 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में गृह (पुलिस) अनुभाग–1, उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या–8/2016/609/पु–1–16– 1300(7)/1994, दिनॉकः 15.03.2016 द्वारा प्रख्यापित **उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2016** एवं अधिसूचना संख्या–18/2016/2792/6–पु–1–16– 1300(7)/1994, दिनांकः 19.10.2016 द्वारा प्रख्यापित **उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन)–2016** के नियम–15 (च) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था निम्नवत् हैः–

**<u>नियम–15 (च) चिकित्सा परीक्षा</u>**

(क) ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम चयन सूची में हों, से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा संचालित किये जाने के लिए, तीन (3) चिकित्सकों के पैनल से युक्त एक चिकित्सा परिषद गठित करने हेतु सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा। उक्त पैनल पुलिस विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित और कोड कृत **''पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र''** के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा।

(ग) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट न हो, स्वयं परीक्षा के दिन मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा यदि वह उसकी चिकित्सा परीक्षा और उसके स्वयं के परिणाम की घोषणा के दिनॉक के पश्चात् किसी दिनॉक को दाखिल की जाती है।

(घ) अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी से सम्बन्धित एक विशेषज्ञ होगा ।

(ड) आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षा के सम्बन्ध में दाखिल अपील पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद का विनिश्चय अभ्यर्थी के लिए अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा एवं इसके विरूद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी ।

(च) चिकित्सा परीक्षा परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जायेगें, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(छ) चिकित्सा परीक्षा में असफल पाये गये अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये जायेंगे और ऐसी रिक्तियाँ अगले चयन के लिए अग्रनीत की जायेगी।

3. उपर्युक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप **<u>दिनॉक 14.05.2025 को प्रातः 8:00 बजे उ0प्र0 पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र, महानगर, लखनऊ में चिकित्सा परीक्षा हेतु</u>** गठित चिकित्सा परिषद के समक्ष निम्नलिखित अभिलेखों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगें:–

1– शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र, अन्तिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र, जो ओ०एम०आर० आवेदन–पत्र में दर्शाये गये हैं, की मूल प्रतियाँ एवं दो–दो स्वप्रमाणित प्रतियाँ।

2– आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, (यदि आरक्षित श्रेणी में चयनित हुए है) जो ओ०एम०आर० आवेदन–पत्र में दर्शाये गये हैं, की मूल प्रतियॉ एवं दो–दो स्वप्रमाणित प्रतियाँ।

3– ग्राम/मोहल्ले के सम्भ्रान्त दो व्यक्तियों के द्वारा अभ्यर्थी को भली–भाँति जानने एवं चरित्र के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र।

4– 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।

5– निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र।

6–फोटोयुक्त पहचान–पत्र(यथा वोटर आईडी/आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविग लाइसेन्स/पासपोर्ट में से कोई एक )

4. यदि आप निर्धारित तिथि व समय पर चिकित्सा परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तर दायित्व आपका होगा। अनुपस्थित होने की दशा में आपके चयन/अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा ।

5. **चिकित्सीय परीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थियों द्वारा चिकित्सीय परीक्षा के दिन ही निर्धारित प्रारूप में रेडियो मुख्यालय के नोडल अधिकारी के समक्ष अपील, जो परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को सम्बोधित होगी प्रस्तुत करेगा, इसके बाद अपील स्वीकार नहीं की जायेगी, जो रेडियो मुख्यालय के नोडल अधिकारी के माध्यम से परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को उसी दिन सुरक्षित विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त करायी जायेगी ।**

6. चिकित्सा परीक्षा हेतु निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। चिकित्सा परीक्षा हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

7. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अवांछनीय तथ्य **(यथा–मेडिकल बोर्ड को प्रभावित करने अथवा निर्धारित प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का प्रयास)** प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी के चयन/अभ्यर्थन को निरस्त करने के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा ।